कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज

पत्रांक/मान्यता (अंग्रेजी माध्यम)/ 21971-74 /2020-21 दिनांक : 27 **अक्टूबर, 2020**

प्रबन्धक,

सेठ आनन्द राम जयपुरिया स्कूल
चक बबुरा, अलीमाबाद, नैनी,
प्रयागराज।

विषयः उच्च प्राथमिक विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख **26-05-2020** के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज द्वारा पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण एवं शासनादेश संख्या-89/अरसठ-2-2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी, 2019 तथा शासनादेश संख्या-196/अड़सठ-3-2020-2041/2018 दिनांक 29 जून, 2020 में उल्लिखित प्राविधानों एवं मान्यता समिति की संस्तुति/निर्णय दिनांक 26.10.2020 के दृष्टिगत **सेठ आनन्द राम जयपुरिया स्कूल चक बबुरा, अलीमाबाद, नैनी, प्रयागराज** को प्रथमतः आदेश निर्गमन की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु **जूनियर हाईस्कूल स्तर (कक्षा 6 से 8) तक (अंग्रेजी माध्यम)** की औपबन्धिक मान्यता निम्नलिखित शर्तो के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि यदि आपके द्वारा मान्यता पत्रावली में प्रस्तुत पत्रजातों में किसी प्रकार की कूटरचना किये जाने अथवा किसी प्रकार का तथ्य छिपाये जाने का मामला प्रकाश में आता है तो दी गयी मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसके लिए विद्यालय प्रबन्धतंत्र उत्तरदायी होगा। एक वर्ष के पश्चात् मान्यता से सम्बन्धित नियमों/शर्तो का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात् विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त मान्यता की मंजूरी निम्नलिखित शर्तो को पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः-

1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में **कक्षा 6 से 8 (तीन कक्षाओं)** के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3- विद्यालय कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4- सोसाइटी/विद्यालय किसी बालक या उसके माता पिता को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

5- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम क धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः-

- i. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक का विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
- iii. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- vi. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
- v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
- vi. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों को पालन करता है, और
- vii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

6- विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।

7- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है। **(सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या-108/1991-92, दिनांक 21.09.1991, श्री मन्नीलाल शिक्षण समिति 121, चक दाउदनगर, नैनी, प्रयागराज)**

8- विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत व नवीनीकृत हो।

9– सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

10– विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

11– विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसिएशन को लाभ पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।

12– प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय में उसके सुचारू रूप से संचालन के लिए उस विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

13– मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।

14– विद्यालय में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी।

15– समय–समय पर निर्गत शासनादेशों, विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का विद्यालय के प्रबन्धतन्त्र को पालन करना अनिवार्य होगा।

16– भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्राविधानित नीतियाँ तथा समय–समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

17– विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यावसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नही किया जायेगा।

18– विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया–कलापों के प्रयोग में भी नही लिया जायेगा।

19– विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/निकाय का प्रतीक चिन्ह (Logo) एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। अधिकतम् दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग–रोगन की व्यवस्था प्रबन्धतन्त्र द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी।

20– विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है।

21– बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना माँगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध कराना होगा तथा निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

22– विद्यालय प्रबन्धतन्त्र द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–12(1)(सी) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।

23– हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप पढ़ायी जायेगी तथा अंको के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा।

24– विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।

25– दिव्यांग बच्चों की विद्यालय में पहुँच हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पूर्णतः अनुपालन भी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

26– अग्निशमन यन्त्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना अनिवार्य होगा।

27– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग (सेक्शन) न खोला जायेगा और न बन्द किया जायेगा, न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। विद्यालय शाखा चलाने की अनुमति नही होगी।

28– विद्यालय बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।

29– विद्यालय प्रबन्धतन्त्र द्वारा विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राओं का कक्षावार एवं विषयवार अधिगम स्तर एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।

30– मान्यता के उपरान्त उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) की शिक्षा प्रदान करने वाले समस्त विद्यालय स्ववित्त पोषित होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नही किया जायेगा तथा अनुदान स्वीकृत हेतु उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

31– उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू0हा0स्कूल)(अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली–1978 (यथासंशोधित) के अनुसार होगी।

32– मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कर्मियों का वेतन भुगतान प्रबन्धतन्त्र द्वारा अपने निजी स्रोत से किया जायेगा।

33– विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मॅहगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो विद्यालय स्टाफ के वेतन, अनुरक्षण व इससे सम्बन्धित अन्य व्यय के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मॅहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात् शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नही की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी, वह 10 प्रतिशत से अधिक नही होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है:–

(1) शिक्षण शुल्क, (2) मॅहगाई शुल्क, (3) विकास शुल्क, (4) बिजली, पानी आदि (5) क्रीड़ा शुल्क, (6) परीक्षा/मूल्यॉकन, (7) विद्यालय समारोह/उत्सव, (8) विशेष विषयों की शिक्षा–कम्प्यूटर/संगीत आदि।

नोट : पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपीटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा। विद्यालय प्रबन्धन द्वारा वार्षिक आय में बचत का उपयोग विद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

34– मान्यता के लिए **उच्च प्राथमिक विद्यालय** के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए परन्तु कक्षा–कक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट से कम नही होना चाहिए। प्रत्येक कक्षा में 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए।

1. विद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय भी होना चाहिए।
2. प्रधानाध्यापक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिए अलग–अलग कक्ष हो।
3. छात्र/छात्राओं तथा अध्यापक/अध्यापिकाओं के अलग–अलग मूत्रालय, शौचालय एवं हाथ साफ करने की समुचित व्यवस्था हो।
4. विद्यालय में पीने की स्वच्छ (जीवाणु रहित) पानी की समुचित व्यवस्था हो।
5. खेलकूद के लिए विद्यालय परिसर में याद विद्यालय परिसर की समीप पर्याप्त क्रीड़ा स्थल उपलब्ध हो।

35– आपके विद्यालय **(सेठ आनन्द राम जयपुरिया स्कूल चक बबुरा, अलीमाबाद, नैनी, प्रयागराज)** को आवंटित मान्यता **(जूनियर हाईस्कूल स्तर (कक्षा 6 से 8) तक (अंग्रेजी माध्यम)** कोड संख्यांक **373** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

36– मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रबन्धतन्त्र द्वारा शपथ–पत्र दिया जायेगा कि वह समय–समय पर निर्गत शासनादेशों, विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करेगा।

37– भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्राविधानित नीतियॉ तथा समय–समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

38– विद्यालय में पुस्तकालय, साज–सज्जा एवं उपकरण आदि संसाधन उपलब्ध होने चाहिए।

39– विद्यालय की मान्यता के पश्चात् विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के अनुसार न्यूनतम् स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए।

भवदीय

(संजय कुमार कुशवाहा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रयागराज।

पृ०सं० : मान्यता(अंग्रेजी माध्यम)/ /2020–21 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
2– सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
3– खण्ड शिक्षा अधिकारी, चाका, प्रयागराज।
4– कार्यालय गार्ड फाइल।

(संजय कुमार कुशवाहा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रयागराज।